जे.एस. नारंग, जे

बनाम

सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, आईपीएस-उत्तरदाता

*F.A.O.* नंबर *186/*एम *1998 23* अगस्त, *2001*

हिंदू विवाह अधिनियम, *1955-S.13 (1) (i-a)* - तलाक-क्रूरता

- पत्नी द्वारा पत्नी द्वारा पत्नी द्वारा बेवफाई के बारे में पत्नी द्वारा पुष्टिकरण के बारे में बेवफाई की। पति और उसके माता-पिता के प्रति पत्नी के साक्ष्य-व्यवहार के अनुसार, सामान्य नहीं है और पति के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बनता है- पत्नी के इस तरह का व्यवहार जो बच्चे के साथ अलग-अलग रहने वाली क्रूरता-पत्नी में समाप्त हो रहा है और अपने वैवाहिक घर-उच्च में आने का कोई प्रयास नहीं करता है। अदालत ने भी पति-पत्नी की अपील को खारिज करने के पक्ष में दिए गए तलाक के सामंजस्य-डिक्री को प्रभावित करने के लिए पार्टियों के बीच कोई अनुकूलता नहीं पाई।

आयोजित, कि अपीलकर्ता ने पति की ओर से कथित बेवफाई के आरोपों को समतल करने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि उनका गुनिटा के साथ एक संबंध था, लेकिन आरोप के अलावा, इस संबंध में कोई भी ठोस, पुष्ट साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तथ्य यह है कि अपमानजनक भाषा का उपयोग अपीलकर्ता के रूप में सिद्धार्थ के माता-पिता द्वारा किया गया था, लगभग अप्राप्य हो गया है, जबकि उसे सम्मानजनक भाषा का उपयोग करने और विनम्र व्यवहार को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ता की ओर से इस तरह के कार्य ने पति के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बना।

*(*पारस *31* और *32)*

इसके अलावा, इस संबंध में कुछ सामान्य नियम हैं जहां समाज में मौजूद व्यवहार योग्य संबंध का पालन करना पड़ता है, ऐसा ही एक संबंध दोनों पति -पत्नी के माता -पिता है। यह उम्मीद की जाती है कि दोनों पति -पत्नी को एक दूसरे के माता -पिता के साथ सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मामले में, अपीलकर्ता ने सामान्य तरीके से व्यवहार नहीं किया। इसी तरह का सम्मानजनक व्यवहार पति और पत्नी के बीच भी अपेक्षित है। कुछ सामान्य व्यवहार हैं जो पति और पत्नी के बीच अपेक्षित हैं और यदि उनमें से कोई भी सामान्य व्यवहार के लिए असामान्य है, तो शादी का पहिया आखिरकार परेशान हो जाता है। पति के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं पाया गया है कि उसने कभी भी उसे

सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है या असहनीय तरीके से व्यवहार किया है, जबकि इसके विपरीत ऐसे आरोपों को अपीलकर्ता के खिलाफ लगा दिया गया है और यह है कि कोरोबोरेटिव साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाया गया है। इस तरह का व्यवहार और इस तरह की स्थिति क्रूरता में समाप्त हो जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि क्रूरता केवल शारीरिक हो, मानसिक क्रूरता शारीरिक क्रूरता की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक है।

(पारस 33 और 34)

इसके अलावा, कि एक वैवाहिक घर केवल ईंटों, मोर्टार और लकड़ी से बना नहीं है, एक वैवाहिक घर को पति या पत्नी के दिमाग में अस्तित्व में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मानसिक मेकअप और मन का फ्रेम वैवाहिक घर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन केवल निर्जीव सामग्री से बने घर में जाने से इसका जवाब नहीं होगा। वैवाहिक घर को कानून के फ्रैमर्स और न्यायिक उच्चारणों द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, "वैवाहिक घर" दोनों पति -पत्नी द्वारा स्वीकार्य और स्वीकार्य एक मानसिक मेक अप है और निश्चित रूप से आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से कंजर्विटी के साथ टेम्पर्ड है।

(पैरा ३५)

आगे आयोजित किया गया, कि दो जीवित आत्माओं के बीच कोई संगतता नहीं है, उन्हें एक साथ जीने के लिए दो अजनबियों को छत साझा करने के लिए कहा जाएगा। "आप घोड़े को नदी में ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं जब तक कि यह प्यासा न हो।" यह प्यास दोनों पति -पत्नी से गायब है।

(पैरा ३६)

रमन महाजन, अधिवक्ता,-अपीलकर्ता के लिए

अमरजीत सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए

**प्रलय**

जे.एस. नारंग, जे।

(1) अपीलकर्ता-प्रतिवादी एसएमटी शिवानी चट्टोपाडय को लघु के लिए "शिवानी" और प्रतिवादी-नाटकीय श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के रूप में संदर्भित किया जाता है, आईपीएस ("सिद्थर के रूप में संदर्भित) के लिए 8 फरवरी, 1987 को चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के अनुसार 8 फरवरी,

1987 को शादी कर ली। उनके संबंधित रिश्तेदारों और अन्य सम्मानियों की उपस्थिति। यह यहां यह नोटिस करने के लिए अपीलीय होगा कि सिद्धार्थ के माता -पिता धार्मिक संस्कारों के प्रदर्शन और सिद्धार्थ के दादा की मृत्यु के कारण विवाह समारोह में भाग नहीं लेते थे और सिद्धार्थ द्वारा अनुरोध के बावजूद शादी को लगभग छह महीने तक स्थगित कर दिया गया था, विवाह को 8 फरवरी, 1987 को सम्मिलित किया गया था। सिद्धार्थ के ग्रैंड-फादर का 18 दिसंबर, 1986 को निधन हो गया। इस प्रकार, बेटे और उनकी पत्नी (पिता और सिद्धार्थ की माँ) से भाग लेने के लिए यह बहुत कच्चा था शादी में।

(२) वास्तव में, सिद्धार्थ और शिवानी ने शैक्षणिक सत्र 1983-84 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए एक-दूसरे से मुलाकात की थी और वे दोनों एम.ए. इतिहास के छात्र थे। दोनों ने एक -दूसरे के लिए पसंद किया और दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। सिद्धार्थ एक बंगाली ब्राह्मण है जबकि शिवानी एक पंजाबी हिंदू लड़की है। सिद्धार्थ आईपी में चुना गया और नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रशिक्षण से गुजर रहा था, जो 14 दिसंबर, 1986 को शुरू हुआ था। इस प्रकार, शादी उनके प्रशिक्षण अवधि के दौरान हुई और शादी के समापन के बाद, वे एक साथ रहते थे और हैदराबाद में अपना हनीमून मनाया। सिद्धार्थ के परिवार द्वारा शिवानी को गर्मजोशी से स्वीकार किया गया था। सिद्धार्थ को पंजाब राज्य आवंटित किया गया था और हैदराबाद में उनके प्रशिक्षण के पूरा होने पर, पंजाब पुलिस के साथ पंजाब राज्य में जानकारीपूर्ण प्रशिक्षण के लिए विस्तृत था। प्रशिक्षण के इस हिस्से में, वह विभिन्न जिलों में छोटी अवधि के लिए विस्तृत था। इस मंत्र के दौरान, शिवानी ने चंडीगढ़ में अपने माता -पिता के घर में रहना पसंद किया। वह उस समय एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी और सिद्धार्थ ने दस दिनों के लिए छुट्टी ले ली जब शिवानी को पीजीआई में भर्ती कराया गया था। एक बच्चे का जन्म 5 दिसंबर, 1987 को पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ था। बच्चे को सिद्धान्त चट्टोपाध्याय के रूप में नामित किया गया था। दोनों परिवार इस अवसर पर खुश थे और दिसंबर, 1987 के मध्य में एक साथ थे। यह जनवरी, 1988 में, सिद्धार्थ खड़ा था। पोस्ट के रूप में a.s.p. पुलिस स्टेशन, राजपुरा और छोटे परिवार यानी सिद्धार्थ, शिवानी और उनके बेटे एक साथ रहे। यह जनवरी, 1988 के अंत में था, उन्हें समाचार का एक और अच्छा टुकड़ा मिला, सिद्धार्थ की छोटी बहन की शादी की गंभीरता का निर्धारण और वही 4 फरवरी, 1988 के लिए तय किया गया था। शादी को माता -पिता के माता -पिता के घर पर रखा जाना था। रुर्की में सिद्धार्थ। इस छोटे से परिवार ने शादी में भाग लिया और इस बीच सिद्धार्थ अमृतसर में तैनात रहे। यह

अप्रैल 1988 में था, सिद्धार्थ को फिर से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदरबेड में रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी, प्रशिक्षण के दूसरे चरण के पूरा होने के लिए। हालांकि, छोटे परिवार यानी शिवानी और उनके बेटे जनवरी, 1988 में हैदराबाद में सिद्धार्थ में शामिल हुए। प्रशिक्षण पूरा होने पर, सिद्धार्थ 30 जुलाई, 1988 को एक आईपीएस अधिकारी के रूप में पारित हो गया। इसके बाद, एक छोटा धार्मिक समारोह, एक से संबंधित है। नवजात बच्चे, 15 अगस्त, 1988 को रोरकी में सिद्धार्थ के माता -पिता के घर में प्रदर्शन किया गया था। सिद्धार्थ के पिता सितंबर 1988 के महीने में ब्रिगेडियर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और स्थायी रूप से जयपुर में अपनी पत्नी के साथ बस गए। सिद्धार्थ को फिर से नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मुसोरी में प्रशिक्षण के हिस्से से गुजरना आवश्यक था और इस अवधि के दौरान छोटे परिवार फिर से एक साथ रहे। प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम दिसंबर 1988 में पूरा किया गया था।

(३) पूर्वोक्त प्रशिक्षण के पूरा होने पर सिद्धार्थ को एस्प लुधियाना के रूप में तैनात किया गया था। इस पोस्टिंग को प्रकृति में संवेदनशील कहा गया था क्योंकि आतंकवाद ने पकना शुरू कर दिया था और एक सरपट गति का अधिग्रहण किया था और थोड़े समय में अपने चरम पर पहुंच गया था। एक युवा गतिशील अधिकारी होने के नाते, उन्हें अनुकरणीय साहस और हर प्रकृति के जोखिम के साथ आतंकवाद से लड़ने की उम्मीद थी। इस तरह के अधिनियम ने उम्मीद की और सिद्धार्थ से सभी 24 घंटे तैयार रहने की मांग की। एक अगली कड़ी के रूप में, वह न केवल दिन के समय, बल्कि ज्यादातर समय रात के दौरान भी वैवाहिक घर से दूर रहा। अपने पूर्वोक्त कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए, उन्हें हमेशा प्यार और स्नेह के माध्यम से नैतिक समर्थन की आवश्यकता होती है।, जो केवल उनकी पत्नी द्वारा प्रदान किया जा सकता है। शायद, शिवानी केवल गुबारोटोरियल जीवन की उम्मीद कर रही थी लेकिन वास्तविकता पूरी तरह से अलग थी। परिणामी प्रभाव पत्नी के अनम्य स्वभाव में समाप्त हो गया। वास्तव में, उसने सिद्धार्थ के कारण नाराजगी व्यक्त की, जिसे आईपी में चुना गया था। उनके कर्तव्यों की प्रकृति और इसमें संयुक्त विषम घंटे, शायद दो प्रेमियों के बीच संबंधों में उलट हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि पुलिस बल के कर्तव्य चरित्र और जिम्मेदारी में अद्वितीय हैं यानी सम्मान और प्रशंसा अर्जित करने के लिए। यह ऐसी उपलब्धियों के लिए उपलब्ध एकमात्र एवेन्यू था, खासकर जब समाज में अंतर्निर्मित चुनौतियों के अधीन हो।

जीवन की अपनी मांगें और आवश्यकताएं हैं जो एक के साथ पूरी हो सकती हैं, इससे पहले कि एक अपने और अपने परिवार के लिए क्रेडिट अर्जित करने में शामिल हो। समय बीतने के साथ व्यक्तिगत जीवन में भागीदारी में हमेशा कमी होती है। यह आरोप लगाया जाता है कि एक समय में शिवानी को काम छोड़ना चाहता था क्योंकि उसी ने अपने रिश्ते में एक छोटी सी खाड़ी बनाई थी। सिद्धार्थ पूरी तरह से भ्रमित व्यक्ति बन गए, क्योंकि ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो इस तरह की सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं और उन्हें उच्चतम सम्मान और सेवा में उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए उत्तेजित पदोन्नति दी जाती है। इस तरह की नौकरी को प्रियजन से पूछने पर नहीं निकाला जा सकता था।

(४) सिद्धार्थ के अनुसार दोनों के बीच की खाई बढ़ने लगी थी यानी वह अपनी नौकरी में शामिल हो गया और वह घर पर बची रही, वह मानस या साइकेडेलिक्स का शिकार हो गई। शिवानी द्वारा अपनाए गए अलगाववादी रवैये के प्रभाव को कथित तौर पर सितंबर, 1990 में कहीं भी सिद्धार्थ द्वारा महसूस किया गया था। यह इस समय है, उनके माता -पिता को जयपुर से लुधियाना के पास आने के लिए आमंत्रित किया गया था। बेशक, माता -पिता इस तरह के निमंत्रण के लिए तत्पर हैं। वे पहुंच गए और अपने बेटे के पारिवारिक जीवन के लिए खतरे से भी अवगत हो गए। पिता, सैन्य सेवा से होने के नाते, उन स्थितियों से अवगत थे, जिन्हें अपनाया जा सकता है क्योंकि करियर को अपनाया जा सकता है। दोनों माता -पिता ने "शशती" समारोह करने का फैसला किया (यह समारोह माता -पिता द्वारा लंबे जीवन और बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है)। उक्त समारोह को 25 सितंबर, 1990 को निहित किया जाना था। शिवानी को भी इस समारोह में भाग लेने के लिए कहा गया था, लेकिन कथित तौर पर, उन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया और यह समारोह उनकी अनुपस्थिति में किया गया था।

(५) यह आरोप लगाया गया है कि दुर्गा पूजा के बीच में, जो २ ९ सितंबर, १ ९९ ० को समाप्त होना था, शिवानी ने सबसे असहनीय तरीके से व्यवहार किया और सिद्धार्थ के माता -पिता के सम्मान में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उनके हिस्टेरिकल क्षणों में सिद्धार्थ को भेजने के लिए कहा माता -पिता वापस जयपुर। स्थिति गंभीर हो गई। माता -पिता ने अवांछित महसूस किया और इस एपिसोड ने न केवल सिद्धार्थ के दिमाग पर बल्कि उनके माता -पिता को भी एक बहुत ही दर्दनाक छाप छोड़ी। खट्टा स्वाद हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन वह भावना और स्मृति जो इस तरह के स्वाद को अनजाने में लाएगी और जो अंततः स्वस्थ दिमाग में अंधेरे शॉट्स को तरसती है। ऐसा एपिसोड था। उनके माता-पिता ने 30 सितंबर, 1990 को अपने भव्य बच्चे के साथ और अपने बेटे और बहू के

साथ दिवाली का त्योहार मनाए बिना लुधियाना को छोड़ दिया। यह आरोप लगाया गया है कि कोई भी अवसर या किसी भी स्थिति को लाया या बनाया नहीं गया था
सिद्धार्थ के माता -पिता को पिछले एपिसोड को मिटाकर पीछे देखना पड़े ।

(६) जीवन को आगे बढ़ना है। यह फरवरी, 1991 के महीने में था। सिद्धार्थ को SSP, Ferozepur के रूप में पदोन्नत किया गया था। यह निश्चित रूप से सिद्धार्थ के लिए और अपने परिवार के लिए खुशी और गर्व की बात थी, लेकिन कथित तौर पर, घर में ऐसी कोई खुशी नहीं देखी जा सकती थी। फेरोज़ेपुर सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते, सिद्धार्थ के कर्तव्यों ने अपने जीवन के लिए जोखिम और खतरे का अतिरिक्त स्वाद जोड़ा और परिणामस्वरूप इस तरह की स्थितियों से लड़ने के लिए, सम्मान अर्जित करने के लिए रास्ते और लॉरेल भी बढ़ गए। इसका प्रभाव यह था कि उन्हें अपनी नौकरी से अधिक शामिल होना था और परिणाम यह था कि पति और पत्नी के बीच की खाई बड़ी और बड़ी हो गई। यह आरोप लगाया जाता है कि पत्नी यानी शिवानी बहुत जिज्ञासु हो गई थी कि पहले की तुलना में अधिक समय को नौकरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और उसके लिए कोई समय नहीं था। यह आरोप लगाया जाता है कि कभी -कभी वह खुद को वास्तविक तथ्यों के लिए और कुछ अवसरों के लिए पता लगाने के लिए कार्यालय में कांप जाती थी, व्यक्तियों के सामने इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, जो कार्यालय में मौजूद थे, अपमानजनक, अपमानजनक थे, जिससे सिद्धार्थ के लिए जबरदस्त दर्द और पीड़ा हुई। । उन्होंने महसूस किया और ऐसे व्यक्तियों की नजर में नीचे गिर गए।

(7) एक छोटी अवधि में, सिद्धार्थ ने इतना पूरा किया था, कि उस पर प्रशासन की निर्भरता मेविटेबल हो गई। यह दिसंबर 1991 के महीने में था कि उन्हें एसएसपी अमृतसर के रूप में तैनात किया गया था। छोटा परिवार अमृतसर में स्थानांतरित हो गया, जो फिर से एक सीमावर्ती क्षेत्र है और जिन गतिविधियों की आवश्यकता थी, वे कहीं अधिक थीं। इसलिए, 24 घंटे से पहले की तुलना में कुछ अधिक समय को इस तरह की आवश्यकताओं में भाग लेने के लिए आवश्यक था। उन्होंने अपनी पत्नी के स्वभाव में बदलाव का अनुभव किया था, खुद को, अपने माता -पिता और मेहमानों को भी रवैया बदल दिया था। यह आरोप है कि अमृतसर में तैनात होने के बाद, उन्होंने शिवानी के जीवन का एक और पहलू देखा। उसने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता की ताकि वह उन जगहों पर हो

जहां वह खरीदारी करना चाहती थी। खरीदारी करने में गलत नहीं है, बशर्ते कि सीमा को खरीदने की स्थिति में है, यह ध्यान में रखा गया है और बनाए रखा गया है। यह आरोप लगाया जाता है कि उसने ऐसी सीमाओं से परे खरीदारी की और साथ ही साथ छूट की मांग की, जो संभवतः किसी भी निर्माता द्वारा नहीं दिया जा सकता था। अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ एक छोटी राशि छोड़ने के बाद, इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित, उन्हें खाते को निपटाने की आवश्यकता थी और आगे की वांछित है कि उन्हें दी गई राशि के ऊपर और ऊपर संतुलन उनके द्वारा व्यवस्थित किया जाना है। यह आरोप है कि इस तरह के एक एपिसोड में पति की सूचना मिली और जब वह उक्त पोस्ट से स्थानांतरित हो गया, तो एक समाचार आइटम 26 मार्च, 1992 को समाचार पत्र में दिखाई दिया कि बॉर्डर रेंज के एक एसएसपी की पत्नी ने कंबल और शॉल की भारी खरीदारी करके अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया था। एस एस्स्मा वूलन मिल्स, अमृतसर और इस क्षेत्र के एसएचओ को कीमत का भुगतान करने की आवश्यकता थी। इस तथ्य के बारे में पता करने पर। सिद्धार्थ ने शिवानी का सामना किया और उसने खाली कर दिया और कहा कि उसने ऐसी कोई खरीदारी नहीं की है। क्या यह पर्याप्त था? समाचार मीडिया कुछ भी पता नहीं चला या अनुत्तरित नहीं करेगा और यह मामला मुख्यमंत्री पंजाब की एक संवाददाता सम्मेलन में उठाया गया था, जबकि लुधियाना की अपनी यात्रा पर। यह आगे आरोप लगाया गया है कि इस के एक कॉनसेक्यूनेस के रूप में, सिद्धार्थ को श्री के.पी.एस. गिल ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक पंजाब, जो उसके लिए शर्मनाक था। स्पष्टीकरण दिया गया था और यह भी आश्वासन दिया गया था कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में कभी नहीं होंगी, सिद्धार्थ एक शानदार अधिकारी होने के नाते, उस संवेदनशील समय पर किसी भी तरह की कार्रवाई के अधीन नहीं किया जा सकता है, इसलिए, स्पष्टीकरण सुनने के बाद, मामला गिरा दिया गया था। । हालांकि, सिद्धार्थ को मानसिक रूप से परेशान महसूस हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मामला उठाया और खुलासा किया कि इस तरह का कृत्य उनके पेशेवर करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यह आरोप लगाया जाता है कि जवाब में, शिवानी ने कहा कि अगर वह अपनी नौकरी से बाहर निकलता है तो वह खुश होगी और वह एक ऐसी नौकरी पा सकेगी जो अपनी पत्नी के लिए उसके साथ अधिक समय छोड़ देगी। यह आरोप लगाया जाता है कि वह पूरी तरह से असंतुष्ट महसूस करती है कि पुलिस महानिदेशक को दिए गए स्पष्टीकरण को क्यों स्वीकार किया गया था और सिद्धार्थ को इतनी आसानी से छोड़ दिया गया था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि शिवानी को किसी तरह के मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता हो

सकती है क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के माता -पिता के लिए इस तरह के उपचार को पूरा नहीं करेगी और कोई भी पत्नी यह नहीं सोचना चाहती कि उसके पति को नौकरी ढीली करे। उनकी जांच सितंबर 1992 के पहले सप्ताह में डॉ। राजीव गुप्ता, मनोचिकित्सा विभाग, दयानंद मेडिकल कॉलेज, लुधियाना द्वारा की गई और उन्होंने उक्त अनम्य स्वभाव के संबंध में उनका इलाज शुरू कर दिया।

---

(8) उन्होंने इसी महीने यानी सितंबर 1992 में 5,000 रुपये एक टोकन अग्रिम एम/एस बालजीत भाइयों, साराफा बाजार, लुधियाना के नाम और शैली के तहत जाने जाने वाले ज्वैलर्स के साथ छोड़कर 55,000 रुपये के आभूषणों की खरीदारी की । यह तथ्य पति के ज्ञान में आया, जब उन्हें शेष राशि की निकासी के लिए एक टेलीफोनिक कॉल मिला। यह पति के लिए एक असभ्य झटका था और जब उसने उसे समझाने के लिए कहा, बदले में, उसे चिल्लाहट मिली।

इस प्रकार, स्थिति के बदनाम होने से बचने के लिए, मामला छोड़ दिया गया और 22 दिसंबर, 1992 को आभूषण के टुकड़े के संबंध में भुगतान किया गया।

(९) यह पूर्वोक्त एपिसोड के लगभग दो महीने के अंतराल के बाद था, पत्नी ने पति के चरित्र पर झूठे, आधारहीन और निंदनीय आरोपों को समतल किया। पति को दयनीय लगा और उसने खुद को कुंवारा पाया। उन्होंने अपने माता -पिता से लुधियाना आने का अनुरोध किया। माता -पिता सभी माता -पिता के बाद हैं। पिछले एपिसोड को भूलकर, वे सिद्धार्थ को नैतिक समर्थन देने के लिए लुधियाना पहुंचे। होली का त्यौहार भी बीच में आया और उनकी पत्नियों के साथ दोस्तों की संख्या होली खेलने के लिए पति और पत्नी के निवास पर बुलाया। पति के बारे में आश्चर्यचकित करने के लिए, उसने अपनी पत्नी को न केवल अपने माता -पिता पर बल्कि उस पर भी चिल्लाते हुए सुना। उसने अपने बेटे को खींच लिया और उसे पवित्र खेलने के लिए रोक दिया। परिणाम विनाशकारी था जिससे न केवल पति को बल्कि उनके माता -पिता को भी मानसिक पीड़ा और अपमान हुआ। सिद्धार्थ नहीं कर सका। शिवानी के असहनीय व्यवहार को समझें, जब भी वह पति के खिलाफ चिल्लाना और समतल करना शुरू कर देगी, हर कोई गूंगा स्थापित किया और कुछ व्यक्तियों ने शर्मिंदगी के बजाय खुद को बहाना किया। परिणामी प्रभाव सामान्य स्थिति की पुनर्प्राप्ति से परे था। इसके बाद केवल 15 दिन हैं कि पत्नी एक एम/एस लिली कपड़ों, लुधियाना से शॉल खरीदने के लिए एक होड़ में चली गई, और

पूछताछ करते हुए कि उसने अपने पति से कहा कि उसने सिर्फ तीन शॉल खरीदे थे। 5,000। हालांकि बाद में वास्तविक तथ्यों को सिद्धार्थ के नोटिस पर आया जब प्रोपराइटर ने 28 शॉल के बकाया की मांग की। उसका सामना किया गया और अंततः सही तथ्यों को स्वीकार किया और उसके बाद केवल पांच शॉल रुपये के मूल्य के। 28,000 रखे गए थे और 23 शॉल को फर्म में वापस कर दिया गया था। पूर्वोक्त के संबंध में भुगतान तीन किस्तों में किया गया था। कुछ और एपिसोड थे, जिससे पति को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और अपमानजनक स्थितियों को बचाने के लिए, वह कार्यालय से बाहर चला गया या बैठक से उसे शांत करने के प्रयास के साथ।

(१०) यह भी आरोप लगाया गया है कि पति श्री सुमेद सिंह सैनी इप्स के एक वरिष्ठ सहयोगी, जो पत्नी के परिवार के लिए भी जाने जाते थे, खुद को काम करने के लिए और पति और पत्नी के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए खुद को ले गए। बैठकों की संख्या हुई लेकिन बिना किसी उल्लेखनीय सफलता को प्राप्त किए। हालांकि, श्री सैनी भी अंततः पति और पत्नी के बीच मध्यस्थता करने के प्रयास से बाहर चले गए। शिवानी को मोहन दाई ओसवाल अस्पताल, लुधियाना के एक अन्य डॉक्टर के इलाज के तहत लाया गया था। एक और अजीब तरह का अभिनय भी देखा गया था जब एक दिन, वह अपने बिस्तर के कमरे से बाहर आई और खुले तौर पर धमकी देने लगी कि वह अपने जीवन को समाप्त कर देगी और घर को छोड़ देगी ताकि पति और उसके माता -पिता को एक में फंसाया जाए आपराधिक मामला। हालांकि, कर्मचारियों की मदद से और शांत रहने से, पति और उसके माता -पिता उसे शांत करने में सक्षम थे और उसे इस तरह से अभिनय करने के लिए इधर -उधर ले गए। सिद्धार्थ के माता -पिता ने पूरे एपिसोड के बारे में चिंतित महसूस किया और सितंबर 1993 के महीने में जयपुर के लिए लुधियाना को छोड़ने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने खुद को हर घबराहट भी पाया कि ऐसा न हो कि कुछ भी हो सकता है और वह एक आपराधिक मामले में फंसाया जा सकता है। उन्होंने 13 सितंबर, 1993 को कैनाल रेस्ट हाउस, लुधियाना में शरण ली। इसका उद्देश्य एक दूसरे को एक बदसूरत कृत्य के होने को बढ़ाने के लिए नहीं देखना था। अनुरोध पर, सिद्धार्थ को A.I.G के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। लुधियाना और पटियाला के लिए संचालन-सह-आंतरिक सतर्कता चंडीगढ़ में मुख्यालय के साथ है। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें एसएसपी, लुधियाना के आधिकारिक निवास को खाली करने की आवश्यकता थी और उनके स्थान पर श्री सुमेश सिंह सैनी, आईपीएस को

एसएसपी, लुधियाना के रूप में तैनात किया गया था। शिवानी, सहकारी होने के बजाय हिस्टेरिकल बन गया और आधिकारिक आवास को खाली करने से इनकार कर दिया। स्थिति बदसूरत हो गई थी और अंततः उसने पुलिस लाइनों, लुधियाना में एक आधिकारिक निवास में समायोजित की जाने वाली स्थिति के साथ आधिकारिक आवास को खाली कर दिया। हालांकि, अधिकारियों ने आतंकवाद और सक्रियता के चरम दिनों के दौरान सिद्धार्थ द्वारा प्रदान की गई मेधावी सेवाओं के कारण भरोसा किया। पुलिस लाइनों में एक आधिकारिक आवास, लुधियाना को शिवानी और उनके बेटे को उपलब्ध कराया गया था। तारीख के रूप में, वह उक्त परिसर में रह रही है। मन के इस फ्रेम में, सह निवास स्थान को फिर से शुरू करना या दोनों के बीच आनंददायक यौन जीवन होना पूरी तरह से असंभव था। मानसिक यातना के अलावा सिद्धार्थ के अनुसार, उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा अनम्य अस्थायी व्यवहार और सेक्स के इनकार के कारण भी पीड़ित किया, जिसका समापन उसके लिए क्रूरता में हुआ ।

(११) सिद्धार्थ को दयनीय लग रहा है, परिस्थितियों से पीड़ित और आधिकारिक तौर पर उसकी पत्नी के संवेदनहीन व्यवहार, सलाह पर, अदालत में हिंदू विवाह अधिनियम, १ ९ ५५ की धारा १३ (१) (i) (ए) के तहत एक याचिका दायर की। शिवानी के खिलाफ तलाक के डिक्री की मांग के लिए जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़।

(१२) पत्नी यानी शिवानी ने याचिका का जवाब दायर किया। दलील दी गई है कि पति ने कोर्ट से स्वच्छ हाथों से संपर्क नहीं किया है और पत्नी के चरित्र को खराब करने के लिए मुर्गा और बैल की कहानी को पकाया गया है। दूसरी ओर, आरोप लगाया गया है कि सिद्धार्थ ने एक श्रीमती गुनिटा बिंद्रा (टंडन) के साथ अवैध संबंध विकसित किए हैं ("गनीता" के रूप में संदर्भित किए गए छोटे के लिए)। यह औसत है कि वह सिद्धार्थ को संबोधित कुछ पत्रों में आई थी और उक्त पत्रों की भाषा ने प्रेम, रोमांस और अश्लीलता का अनुमान लगाया था। मूल पत्रों का उत्पादन नहीं करने के लिए याचिका यह है कि इन पत्रों की ज़ेरॉक्स प्रतियां बनाने के लिए, उसी को एक ऑर्डरलीज़ में से एक को सौंप दिया गया था और वास्तव में उन्होंने मूल पत्र सिद्धार्थ को दिया था, लेकिन फोटो प्रतियों को लिखित कथन के साथ जोड़ा गया है (कोई भी नहीं (कोई भी) इन पत्रों को लिखित बयान के साथ रिकॉर्ड पर देखा गया है, हालांकि, B & C को चिह्नित किया गया है)। आरोप यह है कि जब उसके द्वारा आपत्ति जुटाई गई थी, तो उसे शारीरिक रूप से थ्रैश किया गया था और सिद्धार्थ ने खुलकर घोषणा की थी कि वह भावनात्मक और शारीरिक रूप से

महिला के साथ जुड़ा हुआ है और उससे शादी करना चाहेगा। याचिका में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को जोरदार रूप से अस्वीकार कर दिया गया है और इसके बजाय उन्होंने आरोप लगाया है कि इस वेडलॉक से पैदा हुए बच्चे को पति के माता -पिता द्वारा "खालिस्तानी" के रूप में परिभाषित किया गया था। वास्तव में, माता -पिता कुछ बंगाली परिवार में याचिकाकर्ता से शादी करने में रुचि रखते थे, जहां वे सुंदर दहेज प्राप्त कर सकते थे।

(१३) यह भी आरोप लगाया गया है कि सिद्धार्थ और गुनिता २ मार्च १ ९९ ३ को शिमला जा रहे थे और जिस वाहन में वे यात्रा कर रहे थे, वह एक दुर्घटना से मिले थे। गुनिटा को बुरी तरह से चोट लगी थी और इसका इलाज जनरल अस्पताल, सेक्टर 16, चंडीगढ़ में किया गया था। यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी भागीदारी का तथ्य किसी भी संदेह से परे खड़े हो गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि 21 अप्रैल को, (वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है), सिद्धार्थ और उनके पिता ने उन्हें एक गंभीर पिटाई दी और इस कड़ी में, जूते का भी इस्तेमाल किया गया। वह अगले दिन खुद एक्स-रे हो गई और चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। जब वह वापस आई तो उसने पाया कि उसके सामान को स्थानांतरित कर दिया गया था और उसे घर में एक अलग कमरे में रखा गया था।

(१४) यह भी आरोप लगाया गया है कि उसकी खरीदारी की होड़ की बनाई गई कहानी के कारण, जिसे सिद्धार्थ द्वारा उसके प्रभाव के कारण प्रकाशित किया गया था, उसे अपमानजनक पिटाई दी गई थी और परिणामस्वरूप वह खून बह रहा था। यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके स्वयं के सिद्धार्थ ने उसे बताया कि उसे पिछले दुर्व्यवहार और उसके निर्मम और निर्दयी कार्य के लिए खेद है कि वह उसे पीटने में और इसलिए, वह अपने माता -पिता को जयपुर के लिए वापस भेज रहा होगा

और उसके साथ शांति से रहना चाहेंगे। यह इन परिस्थितियों में है, उसके माता -पिता जयपुर वापस चले गए थे।
(१५) लिखित कथन के एक अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की कहानियों को स्थापित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया गया है कि सिद्धार्थ के पिता भव्य-पिता की मृत्यु के कारण विवाह समारोह में शामिल नहीं हुए थे और यह तथ्य इस तथ्य से खड़ी थी कि ग्रैंड मां विवाह समारोह में शामिल हुईं। वास्तव में पति के माता-पिता शादी में शामिल नहीं हुए क्योंकि वे अंतर-जाति विवाह के विरोध में थे। यह भी औसत है कि वह कभी भी अपने पति के परिवार में एक स्वागत योग्य व्यक्ति नहीं थी और वास्तव में उसे अछूत के रूप में पंजाबी माना जाता था। यह भी औसत है कि इन सभी स्थितियों को पूरी तरह से उल्टा तरीके से लिखा गया है और वास्तव में सिद्धार्थ ने ऐसी परिस्थितियों को बनाने के लिए सभी प्रयास किए और सभी प्रयास किए कि शिवानी अपनी खुद की सहमति वाले तलाक के लिए सहमत होंगी। उसने स्पष्ट रूप से इस तरह के पक्ष से इनकार किया। यह भी आरोप है कि गुनिटा ने पहले ही अपने पति से एक सहमति प्राप्त तलाक प्राप्त कर लिया था।

---

(१६) पत्नी द्वारा दायर किए गए लिखित बयान में निहित औसत को प्रतिकृति दाखिल करने के माध्यम से विरोधाभास किया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया जाता है कि सिद्धार्थ ने कभी भी गनीता के साथ किसी भी तरह के संबंध बनाए थे। कहानी को केवल सिद्धार्थ और अपने स्वयं के व्यवहार के लिए एक कवर अप करने के लिए स्थापित किया गया है, जिसके लिए, उसे डॉक्टरों द्वारा उपचार के अधीन किया गया था।
(17) पार्टियों की दलीलों पर, निम्नलिखित मुद्दों को फंसाया गया था:-
(१) क्या पार्टियों के बीच विवाह क्रूरता की जमीन पर तलाक के डिक्री के माध्यम से भंग होने के लिए उत्तरदायी है? उत्पीड़न।
(२) क्या याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है? ओपीआर।
(३) राहत।

(18) सिद्धार्थ ने PW1 के रूप में अपने गवाह के रूप में खुद की जांच की, अन्य गवाहों की जांच की, जैसे कि वरिंदरपाल सिंह पीडब्लू2, विनोद कुमार सहगल पीडब्लू3, अग्यपाल सिंह PW4, डॉ। प्रितपाल सिंह गिल पीडब्लू5,

जिन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड बनाया है, जो PW5/ A के रूप में प्रदर्शित किया गया है। श्री ओम पार्कश शर्मा पीडब्ल्यू 7, राजेश भम्बी पीडब्ल्यू 8 और श्री सुमेद सिंह सैनी पीडब्ल्यू 8।

(१९) दूसरी ओर, शिवानी RW1 के रूप में अपने गवाह के रूप में दिखाई दिए और उनके पिता श्री आर.एन. RW2 के रूप में दीवान और उसके बेटे सिद्धान्त RW3 के रूप में। इन गवाहों के अलावा, उसके द्वारा किसी अन्य गवाह की जांच नहीं की गई है।

(२०) सीखा जिला न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता (सिद्धार्थ) के पक्ष में और प्रतिवादी (शिवानी) के खिलाफ पूर्वोक्त मुद्दे पर खोज की है और परिणामस्वरूप तलाक के डिक्री को पार्टियों के बीच विवाह को भंग करने का निर्णय लिया है।

(२१) यह दोनों पक्षों का मामला है कि १ ९९ २ में वास्तविक उपद्रव शुरू हुआ जब छोटी छोटी घटनाओं का समेकित प्रभाव स्वीकार किए जाने और वहन करने के लिए सीमा से परे चला गया। सिद्धार्थ के अनुसार, यह दिसंबर 1992 में है और शिवानी के अनुसार यह मार्च 1992 में है जब उन्होंने गुनिटा द्वारा लिखे गए दो पत्रों की खोज की थी।

(२२) सिद्धार्थ ने याचिका में निहित औसत के समर्थन में वृत्तचित्र के साथ -साथ मौखिक साक्ष्य का उत्पादन किया है, उसी के संचयी प्रभाव की व्याख्या सीखा जिला न्यायाधीश द्वारा तलाक के डिक्री देने के तरीके से की गई है। शिवानी ने केवल दो गवाहों का उत्पादन किया है यानी उनके पिता और पुत्र का जन्म इस वेडलॉक से हुआ है। गवाह द्वारा निर्मित वृत्तचित्र और मौखिक सबूतों की भी सीखे हुए जिला न्यायाधीश द्वारा जांच की गई है, जो एक अंतिम फैसले में आ गए हैं कि शिवानी सिद्धार्थ के लिए मानसिक क्रूरता के साथ -साथ मानसिक क्रूरता पैदा करने का दोषी है।

(२३) सीखा जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को शिवानी द्वारा वर्तमान अपील दायर करने के माध्यम से चुनौती दी गई है।

(२४) तर्क यह है कि अपीलकर्ता व्यक्तित्व विकार को स्वीकार नहीं करता है। वह कभी भी इस तरह के विकार से पीड़ित नहीं हुई थी और यह कि पूरे मामले को एक स्थिति में लाने के लिए एक दृश्य के साथ स्थापित किया गया है जो न्यायिक उच्चारणों द्वारा लगभग कवर किया गया है।

(२५) यह भी तर्क दिया गया है कि दुकानों से शॉल और आभूषण आदि खरीदने जैसे आरोप कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सबूत बनाया गया है, जो आसानी से सिद्धार्थ द्वारा स्पष्ट रूप से पुष्टि की जा सकती है। एक प्रभावशाली पुलिस अधिकारी होने के नाते। यह पति का स्वीकार किया गया मामला है कि वह एक शानदार व्यक्ति है, इस प्रकार, शानदार व्यक्ति के लिए वृत्तचित्र और मौखिक साक्ष्य के साथ पुष्ट कहानियों को स्थापित करने के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। माता -पिता के खिलाफ दुर्व्यवहार से संबंधित आरोप की सबूतों के रूप में पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि पति के माता -पिता में से किसी ने भी उन तथ्यों को साबित करने के लिए गवाह बॉक्स में कदम नहीं रखा है। हालांकि, इसके विपरीत, अपीलकर्ता के पिता ने गवाह बॉक्स में कदम रखा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें श्री एस.एस. सैनी द्वारा सूचित किया गया था, आईपीएस कि सिद्धार्थ और शिवानी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं हैं और उन्होंने आगे बताया कि गुनिटा नाम की एक लड़की ऐसा होने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा है कि श्री सैनी ने पति और पत्नी के बीच सामंजस्य लाने की पेशकश की थी और बाद में, उन्होंने खुलासा किया कि कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि सिद्धार्थ को उस लड़की के साथ गंभीरता से शामिल माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि बाद में श्री सैनी की प्रतिक्रिया बहुत हतोत्साहित थी और उन्होंने लगभग कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि सिद्धार्थ गनीता के ससुर श्री जी.एस. टंडन के निवास पर गए थे, जो उनके बैच के साथी थे और इंजीनियर-इन-चीफ के रूप में काम कर रहे थे, हरियाणा और उनके बेटे, गनीता के पति को धमकी दी गई थी गंभीर परिणामों के साथ अगर वह गुनिटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने श्री रेड्डी को तत्कालीन एसएसपी, चंडीगढ़ को बुलाया था, उन्हें इस घटना के बारे में सूचित किया और श्री टंडन के पुत्र यानी गुनिटा के पति को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की। हालांकि, उन्होंने अपने क्रॉस-परीक्षा में स्वीकार किया है कि सिद्धार्थ के भव्य पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने बंगालियों के रीति-रिवाजों के बारे में किसी भी ज्ञान से इनकार किया कि किसी भी परिवार की मृत्यु की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कोई भी समारोह नहीं किया जाता है। क्रॉस-परीक्षा में शिवानी द्वारा किए गए बयान के बारे में, यह दर्शाता है कि उसने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि श्री सैनी ने कभी भी उनके बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है और उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि श्री सैनी ने कई बार मध्यस्थता की है। यह

शिवानी की क्रॉस-एग्जामिनेशन के कुछ अंशों को नोटिस करने और श्री आर.एन. दीवान, उसके पिता, जो नीचे पढ़ते हैं:-

शिवानी ..... (क्रॉस-एग्जामिनेशन से अंश)

---

श्रीमती सैनी वास्तव में मध्यस्थ थे, मिस्टर सैनी याचिकाकर्ता के पक्ष में थे। श्री सैनी ने कभी भी हमारे बीच मध्यस्थता करने के लिए काम नहीं किया। यह सुझाव देना गलत है कि श्री सैनी ने मई टाइम्स की मध्यस्थता की है .....।

"आर.एन. दीवान (परीक्षा-इन-चीफ से अंश)।

.. एक रात में 1993 में मुझे श्री सैनी से एक टेलीफ़ोनिक संदेश मिला, जिसे ए.आई.जी. के रूप में पोस्ट किया गया था। उन दिनों में। उन्होंने मुझे सूचित किया कि पार्टियों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने आगे मुझे बताया कि गनीता टंडन नाम की एक लड़की ऐसा होने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आगे मुझे दलों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण में मेरी मदद करने का आश्वासन दिया। उनके द्वारा वांछित के रूप में मैं उस टेलीफोनिक बात के लगभग 15 दिन बाद उनसे मिला। श्री सैनी के साथ मेरी बात के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि वह पहले ही याचिकाकर्ता से बात कर चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को उस लड़की के साथ गंभीरता से शामिल माना जाता है। इसके बाद, मैं अपनी पत्नी और अपनी बड़ी बेटी श्रीमती आभा सिंह के साथ श्री सैनी के निवास पर गई। हालांकि, उस दिन श्री सैनी की प्रतिक्रिया बहुत हतोत्साहित थी और उन्होंने अच्छा जवाब नहीं दिया।

XXX

XXX

XXX

XXX

(२६) यह नोटिस करना होगा कि श्री एस.एस. सैनी भी PW8 के रूप में परिभाषित एक गवाह के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने खुलासा किया है कि कुछ मामूली समस्याएं थीं जो पति और पत्नी के बीच फसली थीं। उन्होंने यह भी कहा है कि पत्नी का रवैया खत्म हो गया था और उन्होंने एक घटना को भी उद्धृत किया है। यह औसत है कि कभी -कभी परिचालन बैठकें फील्ड ऑपरेशनल अवसरों के बाद लंबे समय तक

चलती हैं और यह इन बैठकों के दौरान होती है, प्रतिवादी ने रिंग अप किया और उसे घर वापस बुलाने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह के टेलीफोनिक कॉल के कारण सिद्धार्थ को शर्मिंदगी हुई और कुछ अवसरों पर उन्होंने छोड़ दिया और बैठकें अनिर्णायक रहीं। यह स्पष्ट रूप से उनके द्वारा औसतन किया गया है कि युगल के बीच का अंतर वर्ष 1992 में कभी -कभी गंभीर हो जाता है और 1993 की शुरुआत में। उन्होंने, दोनों के शुभकामनाएं, मध्यस्थता और मतभेदों को हल करने की कोशिश की। ऐसे एक अवसर पर सिद्धार्थ के पिता और शिवानी के पिता भी मौजूद थे। शिवानी के श्री दीवान पिता ने अपने असहाय {} को व्यक्त किया और मामलों से अपने हाथों को धोया, जिसमें कहा गया था कि शिवानी उनकी बात नहीं सुनती है और पति को उन्हें जितना संभव हो उतना नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने श्री सैनी को स्पष्ट रूप से समझाया था कि सिद्धार्थ के माता -पिता की उपस्थिति के कारण समस्या पैदा हुई है।

यह उनके अनुरोध पर था, सिद्धार्थ ने अपने माता -पिता को अपनी पत्नी को शांत करने के प्रयास से लुधियाना से दूर भेज दिया। उन्होंने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि जब उन्हें एसएसपी के रूप में लुधियाना में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो वह एक रेस्ट हाउस में रुके थे और शिवानी एसएसपी के आधिकारिक आवास में रुके थे। यह भी जिरह में औसतन किया गया है कि शिवानी ने श्री सैनी से **8** से **10** बार उनकी वैवाहिक समस्याओं के संबंध में मुलाकात की। श्री सैनी द्वारा दिए गए सूचनात्मक साक्ष्य ने एक तथ्य की पुष्टि की कि लिधियाना में सिद्धार्थ के माता -पिता की उपस्थिति के कारण सिद्धार्थ और शिवानी के बीच मतभेद उत्पन्न हुए थे और उन्होंने इस संबंध में दोनों के बीच और वास्तव में इस संबंध में मध्यस्थ होने का प्रयास किया था। भी हुआ। बैठकों और मध्यस्थता के तथ्य को स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के पिता द्वारा स्वीकार किया गया है, जबकि, उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जैसा कि शिवानी की क्रॉस-परीक्षा के अंश में ऊपर देखा गया है।

**(27**) कभी -कभी सार्वजनिक रूप से सिद्धार्थ पर उकसाए गए आग्रह और अपमान को भी श्री सैनी द्वारा पुष्टि की गई है। जाहिर है, श्री सैनी वरिष्ठ थे और उनके पास विभिन्न जंक्शनों में पति और पत्नी को देखने और मिलने का अवसर और अवसर था। उनके बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्रॉस-एग्जामिनेशन की गड़बड़ी से पता चलता है कि वह सिद्धार्थ के प्रति अपीलार्थी के दृष्टिकोण और व्यवहार के संबंध में जमा करते हुए परीक्षण को स्पष्ट रूप से समाप्त कर चुका है। उन्होंने इस तथ्य

की भी पुष्टि की है कि सिद्धार्थ को अपने माता -पिता को लुधियाना से दूर भेजने के लिए कहा गया था ताकि आप अपने बीच पैच अप कर सकें। उन्होंने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि अपीलकर्ता ने अपने पति के माता - पिता का अपमान किया। उक्त बयान अनियंत्रित हो गया है और इस संबंध में कोई नकारात्मक सुझाव नहीं दिया गया है।

**(28**) अपीलकर्ता ने कोई भी सबूत नहीं दिया है जो स्वतंत्र रूप से सिद्धार्थ के खिलाफ एक विज़-ए-विज़ आरोप साबित कर सकता था कि वह किसी भी तरह से गुनीता के साथ शामिल था। इस संबंध में**,** आरोपों को समतल कर दिया गया है**,** लेकिन ऐसी घटनाओं की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं है। यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धार्थ एक कार में गुनिटा के साथ यात्रा कर रहे थे और उक्त कार एक दुर्घटना के साथ मिली। इस तथ्य को स्वतंत्र रूप से किसी भी गैर-ध्वस्त साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि गुनिटा को नमूना लिखावट प्राप्त करने के लिए बुलाया गया था और वह भी इसकी तुलना "बी" और "सी" के रूप में चिह्नित दस्तावेजों के साथ तुलना करने के उद्देश्य से की गई थी**,** जो कि उसके द्वारा लिखी गई कथित पत्रों की फोटोस्टैट प्रतियां हैं। यह समझ में नहीं आता है कि किस परिस्थितियों में

लिखावट नमूना को एक फोटोस्टैट कॉपी के साथ तुलना करने के उद्देश्य से लिया गया था जो किसी भी प्रावधान के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, यह सीखा जिला न्यायाधीश द्वारा देखा गया है कि शायद वह अपीलकर्ता के साथ सहमत नहीं है और इसीलिए, उसकी जांच नहीं की गई थी और दलील लेने और इस तथ्य को स्थापित करने के लिए एक दयनीय प्रयास किया गया था कि गुनिटा ने उसकी लिखावट और उसे प्रच्छन्न किया है। उसकी लिखावट को फिर से लिया जाना चाहिए। उक्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। यह देखा गया है कि बर्थडे ग्रीटिंग्स कार्ड को गनीता द्वारा भेजा गया था, कार्ड के माध्यम से उसके पति को संबोधित किया जा रहा है, का उत्पादन किया गया है और पूर्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है। R20। यदि, बिल्कुल, यह एक फोटोस्टैट कॉपी के साथ किसी व्यक्ति की लिखावट की तुलना करने के लिए कानून के तहत स्वीकार्य है, तो उक्त प्रदर्शन पर पैदा होने वाली लिखावट की तुलना की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था। शिवानी के सामने सिद्धार्थ द्वारा मूल पत्रों को फाड़ दिया गया था, इस संबंध में शिवानी द्वारा किए गए बयान का नेतृत्व नहीं करता है। हालाँकि, मैंने इन पत्रों का उपयोग किया है, जो बी और सी को चिह्नित करते हैं। उपयोग की जाने वाली भाषा ऐसी है कि इसे गनीता

टंडन के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। शिवानी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि वह अपनी शादी से पहले गुनिटा से मिली थी और अगर ऐसा हो, तो उसे सिद्धार्थ के साथ गुनिता द्वारा देखा जा सकता था, जब वे प्रेम संबंध कर रहे थे। इस तरह की याचिका नहीं ली गई है और न ही सबूतों से अलग है।

(२९) शिवानी द्वारा दिए गए बयान में कहा गया था कि उसे कुपोषित किया गया था और उसे पति के पिता द्वारा पीटा गया था और वास्तव में वह भी सिद्धार्थ द्वारा पीटा गया था, किसी भी सबूत के किसी भी टुकड़े से पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि अपीलकर्ता के पिता ने गवाह बॉक्स में कदम रखा है, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है कि अपीलकर्ता ने कभी भी उन्हें बताया था कि उन्हें अपने ससुर द्वारा और अपने पति द्वारा भी पीटा गया था। ऐसी स्थिति में जहां पत्नी को पति द्वारा और ससुर द्वारा पिटाई दी जाती है, पहले व्यक्ति को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति उसकी माँ और उसके पिता होंगे। जब वह गवाह बॉक्स में कदम रखा तो उसके पिता से ऐसा कोई सुझाव या सवाल नहीं पूछा गया। वास्तव में उन्होंने केवल गुनिता के साथ सिद्धार्थ के कथित संबंध के संबंध में केवल यह भी कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता के पिता वर्तमान विवाह के साथ सामंजस्य नहीं करते थे। हालांकि, यह भी स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए अपने पति के माता -पिता के घर गया था और उसने आगे कहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ शादी में भी शामिल हो रहा है। उपरोक्त के अलावा, अपीलकर्ता अपने पति के पिता द्वारा या दामाद यानी सिद्धार्थ द्वारा

किसी भी शब्द को किसी भी पिटाई के बारे में नहीं कहा गया है। (३०) अब तक खरीदारी की होड़ में उसके भोग से संबंधित आरोप का संबंध है, किसी भी संदेह से परे स्थापित किया गया है और जवाब में केवल इस बात की दलील दी गई है कि यह सिद्धार्थ के प्रभाव के कारण है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते , समाचार आइटम को कागज में प्रकाशित किया गया था और यह कि पूरे साक्ष्य को अपीलकर्ता पर इस तरह के अधिनियम को बन्धन में कुल सफेद झूठ स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह के सबूतों को ध्वस्त करने के लिए क्रॉस-परीक्षा में कुछ भी मूर्त रूप से सुझाव नहीं दिया गया है। गवाहों ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से और एक ऐसे औसत को हटा दिया है, जिसे श्री एस.एस. सैनी द्वारा बनाया गया है, आईपीएस ने कहा कि अपीलकर्ता असाधारण रहा है और लुधियाना के बाजारों में

खरीदारी की होड़ में चला गया, क्रॉस-परीक्षा में ध्वस्त नहीं किया गया है। और न तो इस संबंध में कोई नकारात्मक सुझाव दिया गया है। हालांकि, केवल सुझाव दिया गया है कि अपीलकर्ता ने उनकी उपस्थिति में कोई भी प्रूचेस नहीं बनाया और उनकी उपस्थिति में कोई भुगतान नहीं किया गया था। श्री एस.एस. सैनी के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, खासकर जब वह सक्रिय रूप से पार्टियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मध्यस्थ होने के लिए शामिल थे।

(३१) साक्ष्य और संबंधित दलों के औसत की अवहेलना, मुझे पता है कि अपीलकर्ता ने पति की ओर से कथित बेवफाई के आरोप को समतल करने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया था कि उनका गनीता के साथ एक संबंध था, लेकिन आरोप से हिस्सा था, इस संबंध में कोई भी ठोस, पुष्ट साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। जिन व्यक्तियों ने इस संबंध में पदभार किया है, वे उनके अपने पिता हैं, जिन्होंने केवल श्री सैनी से टेलीफोनिक रूप से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पदच्युत कर दिया है, जिसे उनके द्वारा भर्ती नहीं किया गया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि वह कभी भी मिले थे या जानते थे गुनिता के नाम से लड़की और जानकारी को उसकी ही बेटी द्वारा दी जाने वाली दी गई है, लेकिन उक्त बेटी ने विंटेस बॉक्स में कदम नहीं रखा है, जहां से उसने इस ज्ञान का अधिग्रहण किया है। दूसरा व्यक्ति पार्टियों का बेटा है, जो स्वीकार करता है कि अपीलकर्ता द्वारा अकेले लाया गया है और वह हमेशा उसके प्रभाव में रहा है। ऐसा लगता है कि उसने जिस तरह से उसे पढ़ाया गया है, उस तरीके से उसे हटा दिया गया है, जिसे बच्चे की क्रॉस-परीक्षा से देखा जा सकता है। सीखा जिला न्यायाधीश ने बच्चे को एक गवाह के रूप में अधीन करने से पहले नोट किया है

कि उनसे विभिन्न प्रश्न पूछे गए थे और वह उन्हें डिलिगेंस और बुद्धिमत्ता के साथ जवाब देने में सक्षम हैं। यह भी देखा गया है कि वह झूठे सबूत देने के निहितार्थ को समझने की स्थिति में है। इस प्रकार, उसके लिए क्रॉस-परीक्षा के माध्यम से उसकी गवाही की कसौटी का सामना करना आसान हो गया है।

(३२) अपीलकर्ता के लिए सीखा वकील सार्थक तर्कों को संबोधित नहीं कर पाए हैं। तथ्य यह है कि अपमानजनक भाषा का उपयोग अपीलकर्ता के रूप में किया गया था, सिद्धार्थ के भागों में लगभग अप्राप्य हो गया है, जबकि उसे सम्मानजनक भाषा का उपयोग करने और विनम्र बेहफावियोर को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ता की ओर से इस तरह के कार्य ने पति के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बनता था, क्योंकि एक सामान्य बेटा हमेशा अपने माता -पिता के प्रति उचित सम्मान का भुगतान करता था और अपनी पत्नी से भी इसी तरह की व्यवहार की उम्मीद करता था। यहां यह ध्यान रखना होगा कि किसी के द्वारा भी एकल शब्द नहीं कहा गया है कि वह किसी भी तरह से अपमानजनक था या अपनी पत्नी के माता -पिता के लिए किसी भी अपमानजनक या अपमानजनक भाषा का उपयोग करता था और इस तरह की कोई शिकायत सबूतों से नहीं हुई है, जो कि सबूतों से नहीं निकली है, जो इशारा किया जा सकता है। इसके अलावा, अपने पति के साथ अपीलार्थी के असर वाले व्यवहार ने फिर से पति को मानसिक गड़बड़ी बना ली और यहां तक कि जब उसे खुद को सही करने के लिए कहा गया, तो प्रतिक्रिया बहुत जन्मजात या ग्रहणशील नहीं थी। सिद्धार्थ द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि क्या अपीलकर्ता किसी भी व्यक्तित्व विकार से पीड़ित है या नहीं और इस संबंध में डॉक्टरों ने यह स्वीकार किया है कि वह व्यक्तित्व विकार से पीड़ित है। हालाँकि, इस पहलू को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्यक्तित्व विकार का पता

लगाना बहुत मुश्किल है। एक सामान्य व्यक्ति के व्यवहार को व्यक्तित्व विकार के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यह विज्ञान का व्यवस्थित सिद्धांत है कि किसी भी दो व्यक्ति का एक ही व्यक्तित्व नहीं है। परिस्थितियों, स्थितियों और बाहरी रूप से प्रभाव किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करता है, इस प्रकार, कोई भी व्यक्तित्व एक सीधे कोण में या एक आयत में या एक सर्कल में नहीं पढ़ा जा सकता है। सबूतों से, पति के माता -पिता के प्रति सामान्य बेहफावियोर की अपेक्षा की गई थी, लेकिन सामान्य व्यवहार की परिभाषा भी व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्तित्व से व्यक्तित्व तक भी भिन्न होगी। कभी -कभी प्रत्याशा अधिक होती है लेकिन जवाब हानिकारक होता है। यह एक बच्चे को लाने में माता -पिता में उचित एक्सपोज़र की कमी और कुछ कमी के कारण हो सकता है।

(३३) हालांकि, इस संबंध में कुछ सामान्य नियम हैं जहां समाज में मौजूद व्यवहार योग्य संबंध का पालन करना पड़ता है, इस तरह का एक संबंध दोनों पति -पत्नी के माता -पिता है। यह

उम्मीद है कि दोनों पति -पत्नी को एक दूसरे के माता -पिता के साथ सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मामले में, अपीलकर्ता ने सामान्य तरीके से व्यवहार नहीं किया। पति और पत्नी के बीच इसी तरह का सम्मानजनक व्यवहार भी अपेक्षित है। कुछ सामान्य व्यवहार हैं जो पति और पत्नी के बीच अपेक्षित हैं और यदि उनमें से कोई भी सामान्य व्यवहार के लिए असामान्य है, तो शादी का पहिया आखिरकार परेशान हो जाता है। इस मामले में, पति के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं पाया गया है कि उसने कभी भी उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया या एक तरह से व्यवहार किया, जबकि इसके विपरीत ऐसे आरोपों को अपीलकर्ता के खिलाफ लगा दिया गया है और यह कि रिकॉर्ड पर लाया गया है।

(३४) इस तरह का व्यवहार और इस तरह की स्थिति क्रूरता में समाप्त हो जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि क्रूरता केवल शारीरिक हो, मानसिक क्रूरता शारीरिक क्रूरता की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक है। विकासशील समाज में और शिक्षा के लिए एक्सपोज़र या व्यक्तियों ने हमें परिवेश के बारे में जागरूक कर दिया है और परिणामस्वरूप एक दूसरे के बीच बेहतर व्यवहार की उम्मीद की जाती है। इस संबंध में मैं शोबा रानी बनाम मधुकर राददी (1) में शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों द्वारा निर्देशित हूं। उनके लॉर्डशिप ने "क्रूरता" शब्द को नोटिस करते हुए अवलोकन किए हैं और विशेष रूप से वैवाहिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित जीवन में भी परिवर्तन किया है। इस संबंध में, यह उनके लॉर्डशिप द्वारा की गई टिप्पणियों को नोटिस करने के लिए अपोजिट होगा और इस संबंध में पूर्वोक्त निर्णय से कुछ पैराग्राफ के रूप में पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

4. धारा 13 (1) (I-A) शब्दों का उपयोग करता है "याचिकाकर्ता को क्रूरता के साथ इलाज किया गया"। "क्रूरता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। वास्तव में इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता था। इसका उपयोग मानव आचरण या मानव व्यवहार के संबंध में किया गया है। यह वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में या संबंध में आचरण है। यह एक के आचरण का एक कोर्स है जो दूसरे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि यह भौतिक है तो अदालत को इसे निर्धारित करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह तथ्य और डिग्री का सवाल है। यदि यह मानसिक समस्या है तो कठिनाई पेश करती है। सबसे पहले, जांच क्रूर उपचार की प्रकृति के रूप में शुरू होनी चाहिए। दूसरा, जीवनसाथी के दिमाग में इस तरह के उपचार का प्रभाव।

चाहे वह उचित आशंका पैदा कर दे कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या हानिकारक होगा। अंततः, यह आचरण की प्रकृति और शिकायत करने वाले जीवनसाथी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए खींचे जाने की बात है। हालांकि, ऐसे कारण हो सकते हैं, जहां आचरण की शिकायत खुद ही खराब है और प्रति गैरकानूनी या अवैध है। फिर दूसरे पति या पत्नी पर प्रभाव या हानिकारक प्रभाव को पूछताछ या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, यदि आचरण स्वयं साबित या भर्ती हो तो क्रूरता मैं स्थापित हो जाएगा।

5. यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि हमारे आसपास के जीवन में परिवर्तन किया गया है। विशेष रूप से वैवाहिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में, हम एक समुद्री परिवर्तन पाते हैं। वे घर से घर या व्यक्ति तक अलग -अलग डिग्री के हैं। इसलिए, जब जीवनसाथी जीवन या संबंधों में साथी द्वारा क्रूरता के उपचार के बारे में शिकायत करता है, तो अदालत को जीवन में मानक की खोज नहीं करनी चाहिए। एक मामले में क्रूरता के रूप में कलंकित तथ्यों का एक सेट दूसरे मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। कथित रूप से क्रूरता काफी हद तक इस बात पर निर्भर कर सकती है कि पार्टियां किस प्रकार के जीवन के प्रकार या उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के आदी हैं। यह उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर भी निर्भर कर सकता है, जिससे वे महत्व देते हैं। इसलिए, न्यायाधीश और वकीलों को, इसलिए, जीवन की अपनी धारणाओं को आयात नहीं करना चाहिए। हम उनके साथ समानांतर नहीं जा सकते। हमारे और पार्टियों के बीच एक पीढ़ी का अंतर हो सकता है। यह बेहतर होगा यदि हम अपने रीति - रिवाजों और शिष्टाचार को अलग रखें। यह भी बेहतर होगा यदि हम कम मिसाल पर निर्भर हैं। क्योंकि जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने शेल्डन बनाम शेल्डन, (1996) में कहा था। 2. सभी ईआर 257 (259) "क्रूरता की श्रेणियां बंद नहीं हैं।" हम उन मनुष्यों के आचरण से निपटते हैं जो आम तौर पर समान नहीं होते हैं। इंसानों के बीच उस तरह के आचरण की कोई सीमा नहीं है जो क्रूरता का गठन कर सकती है। नए प्रकार की क्रूरता किसी भी मामले में मानव व्यवहार, क्षमता या असमर्थता के आधार पर फसल कर सकती है जो शिकायत की गई आचरण को सहन करने के लिए। यह क्रूरता का अद्भुत क्षेत्र है।

9. क्रूरता की अवधारणा को एक नया आयाम दिया गया है। धारा 498a के लिए स्पष्टीकरण यह प्रदान करता है कि कोई भी विलफुल आचरण जो इस तरह की प्रकृति का है, जैसा कि एक महिला को आत्महत्या करने के लिए ड्राइव करने की संभावना है, क्रूरता का गठन करेगा। इस तरह के इच्छाशक्ति आचरण जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे महिला की मानसिक या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरे का कारण बनती है, भी क्रूरता की राशि होगी। उन महिलाओं का उत्पीड़न जहां इस तरह की उत्पीड़न किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को मजबूर करने की दृष्टि से भी क्रूरता का गठन करेगी। "

(३५) इस अपील की सुनवाई के दौरान, मैंने पार्टियों से अनुरोध किया था कि वे अपने बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और मैंने उन्हें सामंजस्य बनाने के लिए अपने चैंबर में बुलाया। मैंने जीवनसाथी के संबंधित माता -पिता से यह भी अनुरोध किया था कि क्या यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई सामंजस्य संभव है, यह पता लगाने के लिए अपने कक्ष में आने के लिए। दुर्भाग्य से, मेरे प्रयास फलदायी साबित नहीं हुए और योग्यता पर अपील तय करने के लिए मामला निर्धारित किया गया था। मुझे लगता है कि पार्टियों के बीच जो भी खाड़ी में आया है, उसे पैच अप करना संभव नहीं है, अपीलकर्ता पुलिस अधिकारी के परिवार के लिए सुरक्षा कारणों के कारण उसे आवंटित पुलिस आवासीय क्वार्टर में अकेले रह रहा है, जो था, जो था एसएसपी लुधियाना, फेरोज़ेपुर और अमृतसर के रूप में पोस्ट किए जाने के दौरान सीधे और सक्रिय रूप से आतंकवाद से लड़ने में शामिल थे। उसने अपने वैवाहिक घर में आने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसने गंजा बयान दिया कि वह अपने पति के साथ जाने और रहने के लिए तैयार है, लेकिन अकेले स्टेटमेंट वैवाहिक घरों के दरवाजे नहीं खोलती है, पत्नी द्वारा एक सार्थक प्रयास की आवश्यकता होती है और इसी तरह पति को दरवाजा खोलना पड़ता है यह उद्देश्य। एक वैवाहिक घर केवल ईंटों, मोर्टार और लकड़ी से बना नहीं है, एक वैवाहिक घर को पति या पत्नी के दिमाग में अस्तित्व में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मानसिक मेकअप और मन का फ्रेम वैवाहिक घर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन केवल निर्जीव सामग्री से बने घर में जाने से इसका जवाब नहीं होगा। वैवाहिक घर को कानून के फ्रैमर्स और न्यायिक उच्चारणों द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, "वैवाहिक घर" दोनों पति -पत्नी द्वारा स्वीकार्य और स्वीकार्य एक मानसिक मेक अप है और निश्चित रूप से आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से कंजर्विटी के साथ टेम्पर्ड है।

(३६) वर्तमान मामले में, मुझे लगता है कि दो जीवित आत्माओं के बीच कोई संगतता नहीं है, उन्हें एक साथ जीने से दो अजनबियों को छत साझा करने के लिए कहा जाएगा। "आप घोड़े को नदी में ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं जब तक कि यह प्यासा न हो।" यह प्यास दोनों पति -पत्नी से गायब है।

(37) पूर्वगामी चर्चाओं के लिए, मुझे अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और उसे खारिज कर दिया गया। कोई लागत नहीं।

**आर.एन.आर.**

एन.के. सोढी और आर.सी. कथूरिया, जेजे

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य, -वाद

सी -डब्ल्यू.पी. 1999 का नंबर 11874

2 जुलाई, 2001

भारत का संविधान, 1950-ART.226-पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (कक्षा I) नियम, 1976-RI.10-पंजाब सरकार। निर्देश 22 मार्च, 1957-सर्कुलर पत्र 24 जून, 1993 और 24 मार्च, 1995 को- P.C.S. की 9 रिक्तियों के लिए भर्ती हुए। (ई.बी.) रजिस्टर ए-II-कमीशन से सभी नामांकित उम्मीदवारों की योग्यता पर विचार करते हुए और उनमें से प्रत्येक द्वारा सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करना, जो कि मेरिट सूची में पहले नौ उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। नियुक्ति के लिए- मेरिट लिस्ट-गोव्ट के सीनियर नंबर 12 में याचिकाकर्ता। वर्ष 1995 से संबंधित 3 रिक्तियों को भरने के लिए आयोग को एक और आवश्यकता भेजना रजिस्टर ए-II से पहले चयन के परिणाम की घोषणा से पहले 22 मार्च को दिनांकित निर्देशों के आधार पर 3 अतिरिक्त/ बाद की रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति के लिए, 22 मार्च को निर्देशों के आधार पर, 22 मार्च, 1957 के निर्देशों की प्रयोज्यता की 1957-योजना, 1957 को नकारा गया और उम्मीदवारों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही अस्वीकार किए गए याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक से अधिक योग्यता के दावे और सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा मेरिट में नियुक्ति के हकदार

नहीं हैं- नियमों की अनुमति नहीं है। मेरिट को परेशान-याचिकाकर्ता के पास जाना

(1) एयर 1988 एससी 121

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**पारिंदर सिंह**

**प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी**

**जींद, हरियाणा**